

2-4-25

पत्रावली पेश हुई प्रकरण में वादी व प्रतिवादी को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया था/सूचना पत्र पर वादी दुर्गा लाल की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, प्रकरण के पूर्व में वादी के अधिवक्ता श्री S N इनामी ने ये कहते हुए प्रकरण में पैरवी करने से इंकार कर दिया कि वादी व वादी के कोई भी विधिक वारिसान से मेरा सम्पर्क नहीं है। इसलिये मैं पैरवी नहीं कर सकता & प्रकरण में मृतक वादी के विधिक वारिसान उपस्थित नहीं हैं। ना ही विधिक वारिसानों की जानकारी इस न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में विधिक वारिसान रिकार्ड पर नहीं जाने से दवा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

141

प्रतिवादी  
दुर्गा लाल

वकील  
श्री S N इनामी